न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 41 सन 2022
पंजीयन दिनांक :- 22.03.2022

चुन्नीदास पिता मिट्ठुदास बैरागी निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ

-अपीलांट

विरूद्ध

सुनिल कुमार पिता किरण चन्द तातेड निवासी देवस्थान, सुरजपोल उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

-रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी डूंगला
प्रकरण संख्या 66/2017 आदेश दिनांक 19.11.2019

उपस्थित- 1. एस.के. ओझा- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः-20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने एक वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डुंगला के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-183 के अन्तर्गत मौजा मंगलवाड में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2687/1 रकबा 0.3200 हैक्टेयर आराजी नम्बर 4223 रकबा 0.2161 हैक्टेयर कुल किता-2 रकबा 0.5261 के सबंध में पेश किया गया जो उपखण्ड अधिकारी डुंगला द्वारा दिनांक 19.11.2019 को वादी का वाद डिक्री किया जाकर मौजा मंगलवाड की आराजी नम्बर 4223/1 रकबा 0.2161 है0 भूमि में से 2 विश्वा भूमि पर से प्रतिवादी चुन्नीदास पिता मीठुदास बैरागी का कब्जा हटवाया जाकर वादी को दिलाये जाने की डिक्री पारित की गयी जिसके विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटीस जारी किये गये एवं उनकी ओर से जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर 'शामील पत्रावली की गयी ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी जिसके लिये अधिवक्ता अपीलांट ने धारा-5 का प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किया गया जो न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद ग्रहण की जाती है ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायाजय द्वारा अपीलांट की तामील कराये बिना भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र स्वीकार करने में गंम्भीर काननी भूल की है अपीलांट को सूनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है एवं अंत में उन्होने अपील में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वकत बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामिल होने के पश्चात न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उसके बाद भी लोक अदालत केम्प कोर्ट केम्प के नोटिस भी अपीलांट पर तामिल करवाये गये लेकिन अपीलांट द्वारा जान बुझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहकर पैरवी नही की गई। लम्बे समयावधि बाद यह अपील प्रस्तुत की गई जो म्याद के बिन्दु पद ही खारिज फरमाई जावें। इसके साथ ही गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा ही अपनी आराजियात में से 1 बीघा कृषि भूमि विक्रय की । उसके पश्चात आपसी सहमति से विभाजन करवाया उसके पश्चात रेस्पोडेंट ने आराजी क्रय की जिस पर अपीलांट किसी भी प्रकार से कब्जा रखने का अधिकारी नही है। इस कारण से भी अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे भी स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की तामिल सम्यक रूप से करवाई है तथा अपीलांट द्वारा जानबुझकर अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहते हुए निर्णय होने के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है जो सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला की प्रकरण संख्या 66/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2019 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 41/2022/डिक्री

चुन्नीदास पिता मिट्ठुदास बैरागी निवासी मंगलवाड तहसील डूंगला जिला चितौडगढ

–अपीलान्ट

बनाम

सुनिल कुमार पिता किरण चन्द तातेड निवासी देवस्थान, सुरजपोल उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

–रेस्पोडेन्ट

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला प्रकरण संख्या 66/2017 निर्णय व डिकी दिनांक 19.11.2019 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला की प्रकरण संख्या 66/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.11.2019 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,.....0..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .....0..... ... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ